

**DAY-NULM**



**एन०यू०एल०एम०**

**दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०यू०एल०एम०)  
के अर्न्तगत स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) हेतु ऋण के लिए आवेदन पत्र**

**LOAN APPLICATION FORM FOR FINANCIAL ASSISTANCE UNDER  
SELF EMPLOYMENT PROGRAMME (SEP) OF DAY-NULM**

(To be submitted along with documents as per the checklist) (जॉचसूची के अनुसार कागजातों के साथ प्रस्तुत किया जाना है)

**Task Force Committee (TFC) meeting date:**

**MIS Registration No.:**

द्वारा / From:

सेवा में/To:

-----  
-----  
-----

The Branch Manager /प्रबंधक

बैंक /Bank:

शाखा/Branch:

प्रिय महोदय /Dear Sir

टास्क फॉर्स चयन समिति के विचारोपरान्त आवेदक का प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र संस्तुति सहित व्यवसाय/स्व-रोजगार ..... हेतु धन राशी रू०.....के लिये बैंक शाखा ..... को अग्रसारित किया जाता है।

उक्त आवेदन को सत्यापित करते हुए DAY-NULM के MIS पर प्रविष्ट कर लिया गया है।

सिटी मिशन प्रबंधक

अग्रणी जिला प्रबंधक

उप/अपर नगर आयुक्त/कार्य०पदा०/वि०पदा०

-----

**TO BE FILLED BY BANK BRANCH- FOR OFFICE USE:**

Customer ID:

LOAN A/C No.:

Loan Type: CASH CREDIT / TERM LOAN

PRODUCT CODE:

SCHEME CODE:

Date of loan Sanctioned:

Amount of loan Sanctioned:

Date of loan Disbursed:

Amount of loan Disbursed:

LOAN TERM (PERIOD):

MARGIN MONEY:

RATE OF INTEREST:

MONTHLY INSTALLMENT:

**आवेदक की प्राप्ति रसीद / Receipt counterfoil for applicant**

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती/कु०.....

Bank Customer ID.....MIS रजिस्ट्रेशन संख्या.....

का ऋण आवेदन दिनांक ..... को बैंक शाखा .....

..... में प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मोहर

**Documents attached:**

**I/We have attached the copies of the following supporting documents (put a ✓ wherever applicable)**

- Proof of identity- Aadhar card/ Voter's ID card/ Passport/ driving license/ PAN card
- Aadhar card     Voter ID card     PAN card     PAN card applied for
- Proof of residence - Recent telephone bills/electricity bill/property tax receipt/ passport/ voter's ID card of applicant(s)/Aadhar card of applicant(s)/if tenant, declaration of landlord
- Proof of business address (only if applicable)
- Proof of Educational certificate/Skill trained certificate/EDP certificate/ street vendor ID proof (which ever is applicable)
- Passport size photograph/s of the applicant/s
- Bank Saving Account documents of applicant
- Projected balance sheets for the next two years in case of working capital limits and for the period of the loan in case of term loan (for all cases of Rs. 2 lacs and above)
- Declaration letter of Income     Loan Application form
- Declaration letter that the applicant is resident of this ULB
- Previous loan / Credit information details documents of concern/ promoter / guarantors, as applicable
- Any other document as per checklist(Please specify)

**Date:**

**Place:**

**Applicant's Signature**

**TO BE FILLED BY BANK BRANCH- REMARKS ON DOCUMENTS ATTACHED:**




फॉर्म सं०-

MIS रजिस्ट्रेशन संख्या -

आवेदन प्राप्ति तिथि-

प्राप्तकर्ता-सामुदायिक संगठनकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर-

**SEP-I हेतु आवेदन प्रपत्र**



1. आवेदक/आवेदिका का नाम .....  
Name of the Applicant .....
2. पिता/पति का नाम.....  
Father's/ Husband's Name .....
3. लिंग-पुरुष/महिला..... 4. मोबाईल संख्या .....
5. जन्म तिथि/उम्र ..... Date of Birth (dd/mm/yy) / Age .....
6. वैवाहिक स्थिति- अविवाहित/विवाहित .....

**(क० 7 से 20 के विवरणी संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य)**

7. वर्तमान पता .....
- वार्ड नं०..... पिन कोड नं०..... थाना.....  
अंचल का नाम ..... जिला.....
8. स्थायी पता .....
9. वोटर पहचान पत्र सं० ..... 10. UID आधार सं० .....
11. PAN कार्ड संख्या ..... 12.शैक्षिक योग्यता.....
13. जाति/कोटी: GEN ..... ST..... SC ..... OBC ..... अन्य..... अल्पसंख्यक .....
14. वर्ग: बी०पी०एल० सं०...../अन्त्योदय राशन कार्ड सं० ...../  
लाल कार्ड सं० ...../शारीरिक रूप से निःशक्त .....
15. कुल वार्षिक आय (समस्त स्रोतों से).....
16. नगर में निवास की अवधि.....17. वर्तमान पेशा .....
18. यदि पथ विक्रेता हैं तो पहचान पत्र सं० .....
19. यदि कौशल प्रशिक्षणार्थी हैं तो MIS रजिस्ट्रेशन संख्या .....
20. यदि बचत खाता है तो, बचत खाता संख्या .....  
बैंक व शाखा का नाम- .....
21. पूर्व में किसी योजना/विभाग से ऋण और सब्सिडी लिया है, तो: वर्ष .....  
उद्यम का नाम एवं पता ..... ऋण राशी .....
22. पूर्व में व्यवसाय/उद्यम चलाये जाने का स्थान व पता यदि अनुभव हो तो .....
23. व्यवसाय/उद्यम का नाम जिसमें ऋण प्राप्त करना है.....
24. योजना की अनुमानित लागत (रु० में).....
25. मांग की गइ ऋण राशी (रु० में) ..... 26. Margin Money .....

## SEP-I हेतु प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट

1. आवेदक का नाम/पता : .....
2. प्रस्तावित योजना का नाम : .....
3. प्रस्तावित कार्य स्थल का पता : .....
4. भूमि व भवन (स्वयं/किराये) पर : .....
5. प्रस्तावित परियोजना लागत : .....
6. मशीनरी का व्यय विवरण (एक मुश्त) : .....
7. प्रति वर्ष हेतु अवशेष व्यय(5-6)=
 

(a) कच्चा माल पर व्यय	रु0 .....
(b) प्रबन्धक वेतन	रु0.....
(c) कुशल कारीगरी वेतन	रु0.....
(d) कारीगरी वेतन	रु0.....
(e) स्टेशनरी व्यय	रु0.....
(f) विद्युत व्यय	रु0.....
(g) यातायात व्यय	रु0.....
(h) अन्य व्यय बैंक का ब्याज मासिक	रु0.....
(i) अन्य व्यय	योग.....
8. माह में उत्पादित माल की बिक्री से प्राप्त धन (प्रतिमाह) रु0 ..... X 12= .....
9. मासिक लाभ (8-7)= कुल योग ..... X 12= .....

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा अंकित समस्त सूचनाएँ सही हैं, भविष्य में उपर्युक्त सूचना में से कोई भी तथ्य गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधि समस्त कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र हैं। मैं यह भी शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने एवं मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किसी विभाग/बैंक से subsidy linked scheme के तहत उक्त प्रस्तावित उद्यम हेतु ऋण और सब्सिडी नहीं लिया गया है।

दिनांक..... शपथकर्ता/शपथकर्ती का पूर्ण नाम व हस्ताक्षर

उक्त ऋण के आवेदन प्रपत्र या ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति/संस्थान द्वारा पैसे की मांग की जाए तो तुरंत अपने नगर निकाय के नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त /अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी से संपर्क करें अथवा नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड को सूचित करें।

नोट: आवेदन दो प्रतियों एवं स्वयंप्रमाणित संलग्न प्रपत्रों में जमा होगा। उक्त के आभाव में आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा तथा अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

आवेदन पत्र के आधार पर आवेदक का परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करने वाले द्वारा भरा जाना		सी0एम0एम0यू0 द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत
नाम		
पदनाम		स्वीकृत/अस्वीकृत तिथि
परीक्षण तिथि		
परीक्षण स्थल/ पता		Task force committee हेतु संस्तुति करने वाले का पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर
हस्ताक्षर		
आवेदन अस्वीकृत होने का कारण		

फॉर्म सं०-

MIS रजिस्ट्रेशन संख्या -

आवेदन प्राप्ति तिथि-

प्राप्तकर्ता-सामुदायिक संगठनकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर-

### SEP-G हेतु आवेदन प्रपत्र

(क० 1 से 08 के विवरणी संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य)

- उद्यम का नाम .....  
Name of the Enterprise .....
- कार्यलय/कारखाना/दुकान का पता.....  
Reg. office/ factory/Shop address .....
- भूमि व भवन स्वयं/किराय/पट्टे पर .....  
Premises owned/rented/leased .....
- व्यवसाय जिसे करने हेतु ऋण प्राप्त करना है.....
- कुल ऋण आवेदक की संख्या .....
- योजना की अनुमानित लागत (रु० में).....
- पुर्व में किसी योजना/विभाग से ऋण और सब्सिडी लिया है, तो: वर्ष .....  
उद्यम का नाम एवं पता ..... ऋण राशी .....
- सभी आवेदकों की विवरणी-

क०	आवेदक का नाम	जन्म तिथि/उम्र	पिता/पति का नाम	लिंग	वर्तमान पता

क०	मोबाईल संख्या	UID आधार सं०	वोटर पहचानपत्र सं०	PAN कार्ड संख्या	शैक्षिक योग्यता

क०	कोटी (GEN/ST/SC/OBC/अल्पसंख्यक)	कुल वार्षिक आय (समस्त स्रोतों)	नगर में निवास की अवधि	वर्तमान पेशा	बचत खाता संख्या, बैंक व शाखा का नाम

## SEP-G हेतु प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट

2. प्रस्तावित योजना का नाम : .....
3. प्रस्तावित कार्य स्थल का पता : .....
4. भूमि व भवन (स्वयं/किराये) पर : .....
5. प्रस्तावित परियोजना लागत : .....
6. मशीनरी का व्यय विवरण (एक मुश्त) : .....
7. प्रति वर्ष हेतु अवशेष व्यय(5-6)=
 

(a) कच्चा माल पर व्यय	रु0 .....
(b) प्रबन्धक वेतन	रु0.....
(c) कुशल कारीगरी वेतन	रु0.....
(d) कारीगरी वेतन	रु0.....
(e) स्टेशनरी व्यय	रु0.....
(f) विद्युत व्यय	रु0.....
(g) यातायात व्यय	रु0.....
(h) अन्य व्यय बैंक किश्त मासिक	रु0.....
(i) अन्य व्यय	योग.....
8. माह में उत्पादित माल की बिक्री से प्राप्त धन (प्रतिमाह) रु0 ..... X 12= .....
9. मासिक लाभ (8-7)= कुल योग ..... X 12= .....

हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे द्वारा अंकित समस्त सूचनाएँ सही हैं, भविष्य में उपर्युक्त सूचना में से कोई भी तथ्य गलत पाये जाने पर हमारे विरुद्ध विधि समस्त कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र हैं। हम यह भी शपथपूर्वक बयान करते हैं कि हमे एवं हमारे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किसी विभाग/बैंक से subsidy linked scheme के तहत उक्त प्रस्तावित उद्यम हेतु ऋण और सब्सिडी नहीं लिया गया है।

आवेदक का फोटो	आवेदक का फोटो	आवेदक का फोटो	आवेदक का फोटो	आवेदक का फोटो
पूर्ण नाम व हस्ताक्षर	पूर्ण नाम व हस्ताक्षर	पूर्ण नाम व हस्ताक्षर	पूर्ण नाम व हस्ताक्षर	पूर्ण नाम व हस्ताक्षर

उक्त ऋण के आवेदन प्रपत्र या ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति/संस्थान द्वारा पैसे की मांग की जाए तो तुरंत अपने नगर निकाय के नगर आयुक्त/उप नगर आयुक्त /अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी से संपर्क करें अथवा नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड को सूचित करें।

नोट: आवेदन दो प्रतियों में जमा होगा एवं संलग्नकों के आभाव में आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा तथा अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

आवेदन पत्र के आधार पर आवेदक का परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करने वाले द्वारा भरा जाना	सी0एम0एम0यू0 द्वारा स्वीकृत /अस्वीकृत
नाम	
पदनाम	स्वीकृत /अस्वीकृत तिथि
परीक्षण तिथि	
परीक्षण स्थल / पता	Task force committee हेतु संस्तुति करने वाले का पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर
हस्ताक्षर	
आवेदन अस्वीकृत होने का कारण	

1.1 उपरोक्त के अनुरूप निम्नलिखित में से किसी भी तीन मापदंडों को पूरा करने वाले शहरी परिवार को दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) का लाभार्थी माना जाएगा:-

- 1.1.1 कच्ची दीवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहने वाला परिवार।
  - 1.1.2 परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
  - 1.1.3 महिला मुखिया वाले परिवार, जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
  - 1.1.4 निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार।
  - 1.1.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले परिवार।
  - 1.1.6 ऐसे परिवार, जहाँ 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है।
  - 1.1.7 भूमिहीन परिवार, जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करता है।
- 1.2 वैसे परिवार, जो निम्नलिखित श्रेणी में आते हों या परिवार के आय का मुख्य श्रोत निम्नलिखित से संबंधित हो एवं लक्ष्मी लाडली योजना के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय रूपए बहत्तर हजार (72,000/-) से ज्यादा न हो, को भी लाभार्थी माना जाएगा :-

- 1.2.1 कूड़ा-कचड़ा(अपशिष्ट) उठाने वाला परिवार (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत भिक्षाटन, कचड़ा चुनने-बिनने/संग्रहण/निस्तारण से हो)।
- 1.2.2 घरेलू कामकाजी वाला परिवार (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत घर की साफ-सफाई,जूठन बर्तन धोने,खाना पकाने,बच्चों की देखभाल/आया आदि से हो)।
- 1.2.3 सड़क पर दुकान लगाने वाले विक्रेता/मोची/फेरी वाला/सड़क पर काम करने वाले अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाला परिवार (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत फेरी के दुकान से/मोची के काम से/फुटपाथ के दुकान से/सड़क पर काम एवं अन्य संबंधित सेवाओं से हो)।
- 1.2.4 निर्माण मजदूर/प्लंबर/राजमिस्त्री मजदूर/सफेदी करने वाला/वैल्डर/सुरक्षा गार्ड/कुली एवं अन्य सर पर बोझा ढोने वाले कामगार (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत निर्माण मजदूरी/प्लंबर सेवा/राजमिस्त्री मजदूरी/सफेदी का कार्य/वैल्डिंग/सुरक्षा गार्ड का कार्य/कुली एवं सर पर बोझा ढोने वाले काम से हो)।
- 1.2.5 साफ-सफाई कर्मचारी/माली (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत साफ-सफाई के कार्य से/माली के काम से हो)।
- 1.2.6 गृह-उद्योग/कारीगर/हस्तशिल्प मजदूर/दर्जी (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत गृह-उद्योग/कारीगर/हस्तशिल्प मजदूरी/दर्जी से हो)।
- 1.2.7 वाहन मजदूर/गाड़ी खींचने वाले मोटिया मजदूर/झाईवर/कंडक्टर/झाईवर एवं कंडक्टर के सहायक/गाड़ी खींचने वाले/रिक्शा खींचने वाले (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत वाहन मजदूर/झाईवर/कंडक्टर/झाईवर एवं कंडक्टर के सहायक/गाड़ी खींचने वाले/रिक्शा खींचने से संबंधित हो)।
- 1.2.8 दुकान पर काम करने वाले सहायक/छोटी जगह पर चपरासी/सहायक/डिलीवरी सहायक/परिचर/अनुसेवक/वैटर (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत दुकान पर काम करने वाले सहायक/छोटी जगह पर चपरासी/सहायक/डिलीवरी सहायक/परिचर/अनुसेवक/वैटर के कार्य से संबंधित हो)।
- 1.2.9 इलेक्ट्रिशियन/मैकेनिक/रिपेयर करने वाले/कलपुर्जे जोड़ने वाला मजदूर (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत इलेक्ट्रिशियन/मैकेनिक/रिपेयर करने वाले/कलपुर्जे जोड़ने वाले कार्यों से संबंधित हो)।
- 1.2.10 धोबी/चौकीदार (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत कपड़े धोने-रंगने एवं चौकीदारी से हो)।
- 1.2.11 गैर कामकाजी (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का मुख्य श्रोत पेंशन/किराया/ऋण/ब्याज इत्यादि से हो)।
- 1.2.12 आश्रयविहीन/गृहविहीन व्यक्ति/परिवार जिसका कहीं से कोई आय नहीं है (जिस परिवार के सदस्य की जीविका/आय का कोई श्रोत न हो एवं परिवार आश्रयविहीन/गृहविहीन हो)।

1.3 वैसे परिवार जिनके घर की निर्माण सामग्री निम्नलिखित के अनुरूप हो, को भी लाभार्थी माना जाएगा:-

- 1.3.1 घास/फूस/बांस/लकड़ी/मिट्टी इत्यादि।
- 1.3.2 प्लास्टिक/पोलीथीन या फिर खपरैल छत।



1.3.3 पक्की ईट या फिर पत्थर की दिवारें लेकिन जी0आई0-धातु/एसबेस्टर्स की चादरों का छत।

1.4 वैसे परिवार जिसके निवास स्थल/घर में बिजली, पेय जल, टॉयलेट, जल निकासी, रसोई आदि से संबंधित सुविधायें निम्नानुसार हो उन्हें भी लाभार्थी माना जाएगा :-

- 1.4.1 पेय जल की सुविधा परिसर में न हो एवं पेय जल संग्रहण हेतु घर से बाहर जाना पड़ता हो।
- 1.4.2 प्रकाश व्यवस्था हेतु घर में बिजली व्यवस्था उपलब्ध न हो एवं परिवार, कोई अन्यवैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर हो।
- 1.4.3 परिवार का अपना व्यक्तिगत टॉयलेट न हो, टॉयलेट सुविधा के लिए परिसर से बाहर जाना पड़ता हो।
- 1.4.4 घर में प्रयोग के बाद गन्दे पानी को निकालने के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था न हो।
- 1.4.5 घर में खाना बनाने के लिए अलग से कोई रसोई घर न हो।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत निम्नलिखित समावेशन मानक को भी आधार माना जाएगा:-

- 2.1 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हो।
- 2.2 सभी विधवा एवं परित्यक्ता जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हो।
- 2.3 वैसे सभी निःशक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हो।
- 2.4 सभी आदिम जनजाति के सदस्य जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हो।
- 2.5 कैंसर, एड्स, कुष्ठ एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत्त न हो।

3. सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों तथा खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत शामिल एवं अन्य वैसे परिवार, जिनकी वार्षिक आय 72 हजार रुपये तक हो, को दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)का लाभार्थी माना जायेगा।

4. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC)के प्रमुख मानकों तथा अन्य समावेशन मानकों के अनुरूप लाभुकों के चयन हेतु प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 25.05.2016 के मद्द संख्या-10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

### टास्क फोर्स कमीटी-

क्रम सं०	स्थानीय नगर निकाय स्तर पर कार्यदल		Sr No	TASK Force at ULB level	ROLE
१	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगर आयुक्त/या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि	अध्यक्ष	1.	Chief Executive Officer (CEO) ULB/ Municipal Commissioner of ULB/ or any representative authorised by CEO ULB	Chairman
२	लीड जिला प्रबंधक	सदस्य	2.	Lead District Manager (LDM)	Member
३	नगर परियोजना अधिकारी, स्थानीय नगर निकाय/स्थानीय नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि	सदस्य संयोजक	3.	City Project Officer (CPO), ULB/ or any authorised representative of ULB	Member Convener
४	जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य	4.	Representative from District Industries Centre (DIC)	Member
५	बैंकों के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक-अधिकतम २	सदस्य	5.	Senior Branch Managers (Max-2) of banks	Member
६	क्षेत्र स्तरीय संघ/ नगर स्तरीय संघ के २ प्रतिनिधि	सदस्य	6.	Representatives(2) of Area Level Federation / City Level Federation	Member